

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर, जिला गंगानगर

अनवान ..... अमृतपाल कौर आदि बनाम ..... अमरजीत कौर आदि

प्रकरण संख्या ..... 107 ..... / 2017 अन्तर्गत धारा 88, 91, 92A RTA

दिनांक	आदेश या कार्यवाही मय हस्ताक्षर जज	नम्बर जो इस पालन
28 <sup>06</sup> 24	<p>अधिवक्तागण उपस्थित। साक्ष्यवादी पेश करने हेतु पूर्व में कही अवसर दिए गए। परंतु अधिवक्ता वादीगण के द्वारा साक्ष्य पेश नहीं की। साक्ष्यवादी बन्द की जाती है। वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 91, 92A RTA अदम साक्ष्य में खारिज किया जाता है। पत्रावली विधि होकर नम्बर से कम होकर नवंबर तक हो।</p>	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

